| सत्यमेव जयते | राजस्थान राजपत्र<br>विशेषांक | **RAJASTHAN GAZETTE**<br>**Extraordinary** |
|---|---|---|
| | **साधिकार प्रकाशित** | ***Published by Authority*** |
| | कार्तिक 1, शुक्रवार, शाके 1942–अक्टूबर 23, 2020<br>*Kartika 1, Friday, Saka 1942–October 23, 2020* | |


भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

**गृह (ग्रुप-9) विभाग**

अधिसूचना

**जयपुर, अक्टूबर 21, 2020**

**संख्या प. 16 (06) गृह-9/2019 :-**यतः राज्य सरकार यह समझती है कि जिला अलवर में तहसील किशनगढबास ग्राम चामरोदा में स्थित खसरा नम्बर 887 (रकबा 0.25 वर्गमीटर) में एच.पी.सी.एल के रेवाडी कानपुर पाईप लाईन के अन्तर्गत एसवी स्टेशन नम्बर 01 को जिसके क्षेत्र का विवरण नीचे वर्णित है, से संबंधित जानकारी या उसका विनाश या उसमें बाधा या उसमें हस्तक्षेप शत्रु को उपयोगी होगा।

इसलिए अब राज्य सरकार एतद्द्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 19) की धारा 2 के खण्ड (8) के उप-खण्ड (घ) सपठित भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 21/20/62 पोल (I) दिनांक 04.05.1963 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिन्दुस्तान पेटोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रेवाडी कानपुर पाईप लाईन के अन्तर्गत एसवी स्टेशन नम्बर 01 के निम्नांकित सीमाओं वाले क्षेत्र को उक्त अधिनियम के अधीन सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिषिद्व स्थान घोषित करती है।

क्षेत्र का विवरण

| क्र.स. | नाम तहसील | ग्राम | भूमि ख.नं. | रकबा | उत्तर | दक्षिण | पूर्व | पश्चिम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | जिला अलवर तहसील किशनगढबास | चामरोदा | खसरा संख्या 887 | रकबा 0.25 हैक्ट. | खसरा संख्या 884 | खसरा संख्या 887/ 1122 एंव 888 | खसरा संख्या 876 एवं 877 | खसरा संख्या 886/ 1122 |

**राज्यपाल की आज्ञा से,**
वी.सरवन कुमार,
**विशिष्ठ शासन सचिव**
**गृह विभाग ।**


**6028**
**Government Central Press, Jaipur.**